सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी
SARDAR VALLABHBHAI PATEL NATIONAL POLICE ACADEMY
(भारत सरकार : गृह मंत्रालय) **(Government of India : Ministry of Home Affairs)**
हैदराबाद : **Hyderabad– 500 052.**

Inter Office Note

Subject: Notified Recruitment Rules – Regarding

A copy of notified Recruitment Rules for the following posts are enclosed herewith for uploading the same on the Academy Website under "Recruitment Rules" column please.

a. Wireless Operator
b. Junior Engineer (Electronics)
c. Senior Scientific Assistant
d. Photographic Officer
e. Painter cum Artist
f. Administrative Officer Grade-II
g. Junior Scientific Officer

24/12/20

(Dr. K P A Ilyas)
Asstt. Director (Estt)

Asstt. Director (IT)

No. 19011/1/2009/Estt/RRs/A-5 Dated: 24 .12. 2020

Internal

A1, A2, A3 and B-2 : To fill up the vacant posts as per the method of recruitment.

Note 1: The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment for deputation or absorption shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. 23011/46/2017-PT]

D. K. GHOSH, Under Secy.

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2020

सा.का.नि.172.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, कनिष्ठ अभियंता (इलैक्ट्रानिक्स) भर्ती नियम, 1982 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में कनिष्ठ अभियंता (इलैक्ट्रानिक्स) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .**—1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, कनिष्ठ अभियंता (इलैक्ट्रानिक्स) भर्ती नियम, 2020 हैं।

   2. ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**— पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा और अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति–

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या पत्नी जीवित हैं, से विवाह किया है ; या विवाह की संविदा की है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

   परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण है, संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा उन्हें लेखबद्ध कर इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़ा वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु–सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कनिष्ठ अभियंता (इलेक्ट्रानिक्स)	01*(2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर– 6 (रू. 35,400–112,400)।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति** : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालीन अनुबंध सहित)/प्रोन्नति

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिन से प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हैं तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालीन संविदा सहित) प्रोन्नति– केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या स्वायत्त या संवैधानिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधीन आने वाले अधिकारियों– (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर समरूप पद धारण करते हो ; या (ii) मूलकाडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर– 5 (रु. 29200–92300/–) में 6 साल की नियमित सेवा के साथ ; और (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएँ एवं अनुभव होना चाहिए ; (i) मान्यता प्राप्त संस्थान से इलैक्ट्रानिक्स एवं कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, तथा (ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्त या संवैधानिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों से इलैक्ट्रानिक्स सिस्टमों के रख रखाव और मरम्मत में दो वर्षीय कार्य का अनुभव।	**समूह–'ख' हेतु विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार हेतु) जिसमें निम्नलिखित होंगे–** 1. उप निदेशक –सदस्य 2. सहायक निदेशक –सदस्य 3. मोटर परिवहन/बेतार प्रशिक्षण अनुदेशक –सदस्य	लागू नहीं होता

टिप्पण 1 – उस ग्रेड में 6 वर्षीय नियमित सेवा के साथ वेतन मैट्रिक्स स्तर–5 (रु. 29200–92300/–) में रहने वाले विभागीय इलैक्ट्रानिक तकनीशियन–सह–ऑपरेटर जिनके पास प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति पर विचार के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव है, उन पर भी बाह्य उम्मीदवारों के साथ विचार किया जाएगा तथा नियुक्ति हेतु विभागीय इलैक्ट्रानिक तकनीशियन–सह–ऑपरेटर के चयनित होने के स्थिति में पद को प्रोन्नति से भरा गया माना जाएगा। **टिप्पण 2** –केन्द्रीय सरकार के उसी या अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तत्काल पहले दूसरे भूतपूर्व काडर पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्प अवधि अनुबंध सहित) सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) सामान्य रूप से 03 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। **टिप्पण 3** –प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) हेतु उच्चतमत आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक 56 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए ।		

[फा.सं. 23011/33/2018–पीटी]
डी.के. घोष, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd December, 2020

G.S.R. 172.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy Junior Engineer (Electronics) Recruitment Rules, 1982, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Engineer (Electronics) in the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad under the Ministry of Home Affairs, namely :-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy Junior Engineer (Electronics) Recruitment Rules, 2020.

   (3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.**— The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) to the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,-

   (b) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (c) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the above said post:

   Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules in consultation with the Union Public Service Commission with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen, Other Backward classes and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Junior Engineer (Electronics)	01*(2020) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400)	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years for promotee	Deputation (including short-term contract)/ Promotion.

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Deputation (including short-term contract)/Promotion: Officers under the Central Government or State Government or Union territories or statutory or autonomous organisation or public sector undertaking or university or recognised research institutions,- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years of regular service in level-5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300) in the parent cadre or department, and (b) possessing the following educational qualification and experience: (i) diploma in Electronics and Communication Engineering from a recognised institution, and (ii) two years of work experience in maintenance and repair of Electronics	**Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-** (i) Dy. Director Administration -Chairman; (ii) Assistant Director -Member; (iii) Motor Transport/ Wireless Training Instructor -Member.	Not applicable.

systems from Central Government or State Government or autonomous or statutory organisation or public sector undertaking or universities or recognised research institutes. **Note 1:-** The departmental Electronic Technician-cum-Operator in level-5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300) with six years of regular service in the Grade and having the educational qualification and experience prescribed for considering appointment on deputation basis shall also be considered along with the outsiders and in case departmental Electronic Technician-cum-Operator selected for appointment, the post shall be deemed to have been filled by promotion. **Note 2:-** The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:-** The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of application.		

[F.No. 23011/33/2018-PT]
D. K. GHOSH, Under Secy.

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2020

सा.का.नि.173.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक भर्ती नियम, 2020 है।

   (2) ये, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पद संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निर्रहता.—वह व्यक्ति–

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या पत्नी जीवित हैं, से विवाह किया है ; या विवाह की संविदा की है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा: